मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 6 मार्च, 2017 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 176 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 200 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

(क) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य द्वारा शासकीय आराजी की भूमि को कृषकों के नाम किये जाने की जाँच संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 596) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

(ख) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा पट्टे की जमीन का नियम विरूद्ध विक्रय सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 4664) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की शहडोल जिले के ग्रामों में सुअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने,
(2) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य की नागदा गुजरी मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने,
(3) कुंवर हजारी लाल दांगी, सदस्य की खिलचीपुर क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय भवन की दीवार का निर्माण करने,
(4) श्री संजय उइके, सदस्य की बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा में चिकित्सालय बन्द होने,
(5) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी व सिंगरौली में "ग्राम उदय से भारत उदय" योजना के तहत प्रकरणों का निराकरण न किये जाने,
(6) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य की पिछड़े वर्ग के कृषकों व शासकीय सेवकों को आरक्षण का लाभ न दिये जाने,
(7) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की शामगढ़ नगर पंचायत के सी.एम.ओ. द्वारा पक्षपात पूर्ण कार्य करने तथा मृत पार्षदों को आर्थिक सहायता दिए जाने,
(8) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना में गड़बड़ी होने,
(9) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य की ग्वालियर के नयागांव से चिनौर तक सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा
(10) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सीहोर जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती से समस्याएँ उत्पन्न होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में फीस विसंगति होने विषयक

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि उज्जैन संभाग के विक्रम विश्वविद्यालय में दो दिन से छात्र-छात्राएं आंदोलन की राह पर हैं. वहां विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिनको 4 विषयों में बीएड की परीक्षा देना हैं, उनकी परीक्षा फीस 2500 रुपये निर्धारित की है और यदि 1 विषय में पूरक आयी है तो उसके लिए 3540 रुपये फीस ली जा रही है. इस विसंगति को दूर किया जाए.

(2) विदेशी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की जांच कराये जाने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि राजधानी भोपाल में एक विदेशी महिला क्रिस्टियाना के साथ गुजरात के व्यापारी दीपक द्वारा अभद्र व्यवहार कर उसे बीच सड़क पर छोड़कर चले जाने पर मुख्यमंत्री महोदय के सुरक्षा गार्ड ने अस्पताल पहुंचाया. पुलिस द्वारा उस महिला की एफआईआर दर्ज करने और आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की गई है. माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि इस घटना की जांच करके गाड़ी चढ़ाकर महिला को मारने का प्रयास करने वाले अपराधियों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए और उस महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए.

(3) बस दर्घटना में हुए मृत व्यक्तियों के परिवारों को सहायता राशि दिये जाने विषयक

श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि दिनांक 4 मार्च, 2017 को सागर में संत रविदास जी के महाकुम्भ के शासकीय कार्यक्रम में सम्मिलित दलित वर्ग के लोगों की वापसी के दौरान बस दुर्घटना होने से 4 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 39 लोग घायल हुए. शासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की राशि एवं शासकीय नौकरी दी जाए तथा घायलों को 5-5 लाख रुपये की राशि दी जाये.

(4) नौरादेही वन अभ्यारण्य से विस्थापित ग्रामों की मूलभूत सुविधाएं बंद कर देने विषयक

श्री प्रताप सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि नौरादेही वन अभ्यारण्य में विस्थापित हो रहे गांवों में से जामुनझिरी और उन्हारीखेड़ा गांवों का इस वर्ष विस्थापन नहीं होना है फिर भी उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास की कुटीरें वहां ग्रामीणों को नहीं दी जा रही हैं. जब तक वे गांव विस्थापित न हों, तब तक उनकी मूलभूत सुविधाएं बंद नहीं की जाएं.

(5) लापता उप पुलिस अधीक्षक के मिल जाने एवं पुष्पराजगढ़ के ग्राम सिवनीसग्गम में कल्पवृक्ष का संरक्षण किये जाने विषयक

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि डीएसपी श्री मानसिंह टेकाम दो वर्ष से लापता थे, मिल गए हैं उसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं. साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के ग्राम सिवनीसग्गम में नर्मदा तट पर एक कल्पवृक्ष है, भू-कटाव से उसकी जड़ें कमजोर होने के कारण वह कभी भी गिर सकता है. उसका संरक्षण किया जाए.

(6) धार जिले के ग्राम भुतिया में महिलाओं के साथ अत्याचार होने विषयक

श्री सोहनलाल बालमीक, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि धार जिले के गंगवानी के अंतर्गत ग्राम भुतिया में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है एवं महिलाओं के साथ जो अत्याचार या दुष्कर्म हुआ है, उसकी शीघ्र जांच कराई जाए.

(7) भोपाल के वी.आई.पी. रोड स्थित पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा हटाने विषयक

श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भोपाल नगर निगम के अमले ने दिनांक 5.3.2016 की रात को लगभग 11 बजे के आसपास देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय शंकरदयाल शर्मा की प्रतिमा जो रेतघाट, वी.आई.पी. रोड चौराहे पर स्थित है, उसको हटाने का प्रयास किया गया है, इससे वहां के रहवासियों एवं आम नागरिकों में रोष व्याप्त है. मूर्ति हटाने की यह कार्यवाही रोकी जाये.

(8) सिवनी जिले की चावल मिलों द्वारा दूसरे प्रदेशों से धान खरीदने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे जिले के व्यापारियों के गोदाम में रखे धान को चावल मिल द्वारा न खरीद कर बिहार और उत्तर प्रदेश का माल खरीदा जा रहा है और अपने किसानों के माल को नहीं लिया जा रहा है. इसकी जांच कराई जाए.

(9) दुमना पुल पर लगी काई से 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होने विषयक

श्री रजनीश सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के दुमना पुल पर जिसमें संजय सरोवर का वेस्ट वाटर रहता है. जो साल में मात्र दो महीने सूखा रहता है बाकी समय पानी उसके ऊपर से ओवरफ्लो होता रहता है, जिससे उसमें काई लग जाती है इस कारण कल एक चार साल के लड़के की फिसलकर मृत्यु हो गई. यह अनुरोध है कि उस पर पुल बनाया जाए.

(10) प्रदेश में शराबबंदी लागू किये जाने विषयक

श्री के.पी. सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्होंने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया है. अब अगले शुक्रवार के बाद एक शुक्रवार और बचेगा. जब हम दौरे पर जाते हैं तो गांव में महिलाएं झुंड बनाकर आती हैं और कहती हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू कराओ. मेरे संकल्प पर कृपा करके चर्चा करा ली जाए.

(11) अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने विषयक

श्री तरूण भनोत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत बजट कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया है लेकिन उसमें अध्यापक छूट गये हैं. प्रदेश के सभी अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिये.

(12) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के मोतेगांव पंचायत मिडिल स्कूल की छत बनाए जाने विषयक

श्री मधु भगत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परसवाड़ा में मोतेगांव पंचायत मिडिल स्कूल है उसकी छत नहीं है. बच्चे किसी अन्य जगह बैठकर शिक्षा ले रहे हैं. मैंने कलेक्टर से भी कार्यवाही करने की मांग की थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की है. उक्त कार्य को शीघ्र किया जाए.

(13) नरसिंहगढ़ में ट्रेंचिंग ग्राऊण्ड बनाए जाने विषयक

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे नरसिंहगढ़ नगरपालिका द्वारा शहर में कचरा खंती न हो ने के कारण शहर के बीच में कचरा डाला जा रहा है. वहां पर 2 ऐतिहासिक मंदिर हैं, एक बड़ी कालोनी है स्थानीय जनता परेशान है कचरे में आग लगाने से धुंए के कारण प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है. वहां समुचित व्यवस्था की जाये.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण तथा (ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण पटल पर रखे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-2016,

(ख) (i) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,

(ii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016 तथा

(iii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,

पटल पर रखे.

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर जिले में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने मालवा क्षेत्र में गेहूं का उपार्जन केन्द्र न खोले जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का बयालीसवां एवं तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(2) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(3) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(4) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(5) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(6) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(7) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(8) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(9) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(10) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(12) कु. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(13) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(14) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(15) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(16) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(17) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(18) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(20) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(21) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(22) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(23) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(24) श्री मेहरबान सिंह रावत (जिला-मुरैना)
(25) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(26) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(27) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(28) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(29) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(30) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(31) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(32) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(33) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(34) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(35) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(36) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(37) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(38) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(39) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(40) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(41) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(42) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)

(43) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(44) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(45) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(46) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(47) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(48) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(49) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(50) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)

9. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2017-2018 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी.
(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.
उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

11. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2017 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर 3 मार्च, 2017 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक (भाषण पूर्ण)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री गिरीश गौतम

सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह

(अपराह्न 1.34 से अपराह्न 3.10 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. मोहन यादव
(5) श्री शैलेन्द्र पटेल

12. स्वागत उल्लेख

डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री हर्ष सिंह, राज्यमंत्री के स्वस्थ होकर सदन में आने पर संपूर्ण सदन की ओर से स्वागत किया गया.

13. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री के.पी. सिंह
(8) श्री के.के. श्रीवास्तव
(9) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(10) श्री दिनेश राय
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार
(12) श्री हरदीप सिंह डंग
(13) डॉ. कैलाश जाटव
(14) श्री कमलेश्वर पटेल
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(16) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(17) श्री वैलसिंह भूरिया
(18) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(19) श्री दुर्गालाल विजय
(20) श्री बाला बच्चन

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

14. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय वित्त मंत्री का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

15. वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अपराह्न 5.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2017 (16 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 6 मार्च, 2017